म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेलरोड, भोपाल .

क्रमांक / मण्डी / प्रांगण / 45 / 44 / विविध / 206 भोपाल,दिनांक 07/03/2019

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति
..............................जिला ....(समस्त)

विषयः— कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में निर्मित कृषक विश्राम गृह(रेस्टहाउस) को संचालित कराने के लिये ठेके पर दिये जाने के संबंध मे दिशा—निर्देश।

.....000......

विषयान्तर्गत लेख है, कि कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में निर्मित कृषक विश्राम गृह(रेस्टहाउस) को संचालित कराने के लिये ठेके पर दिये जाने के संबंध मे कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक 3951 दिनांक 26.12.2008 से निर्देश जारी किये गये थे, उक्त निर्देशों को संशोधित किया गया है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मंडी समिति के प्रांगण में निर्मित कृषक विश्राम गृह (रेस्टहाउस) को संचालित किये जाने के संबंध में संशोधित जारी निर्देशो के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

(फैज अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक, सह—आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्रमांक / मण्डी / प्रांगण / 45 / 44 / विविध / 207 भोपाल,दिनांक 07/03/2019

प्रतिलिपि —

1. अपर संचालक (समस्त) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
2 प्रमुख अभियंता / अधीक्षण यंत्री / कार्यालीन यंत्री(समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
3 संयुक्त / उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय .... (समस्त)
4 कार्यपालन यत्री तकनीकी संभाग आंचलिक कार्यालय................(समस्त)

7/3/19

प्रबंध संचालक, सह—आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

विषयः– कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में निर्मित कृषक विश्राम गृह (रेस्टहाउस) को संचालित कराने के लिए ठेके पर दिये जाने के संबंध में निर्देश।

....00....

01 मंडी प्रांगण में निर्मित कृषक विश्राम गृह (रेस्टहाउस) के संचालन हेतु साधारण इक्छुक व्यक्तियो/संस्थाओं से निविदा आमंत्रित की जावेगी।

02 निविदाये 01 राज्यस्तरीय तथा 02 प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रो में 15 दिवस पूर्व विज्ञापन प्रकाशित कर आंमत्रित की जाये। किसी भी स्थिति में 03 से कम समाचार पत्रो में प्रकाशित निविदा मान्य योग्य नही होगी। निविदा सूचना मंडी समिति के सूचनापटल तथा मंडी बोर्ड की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रर्दशन हेतु अपलोड की जावेगी।

03 निविदा 03 लिफाफा पद्धति से आंमत्रित की जावेगीं। प्रथम लिफाफे. में धरोहर राशि की ए. फी.आर रखी जावेगी (तकनीकी BID) रखी जावेगी एंव दूसरे लिफाफे में निविदा की दरे,विगत 03 वर्ष की आयकर विवरणी, संबंधित कार्य का 03 वर्ष अनुभव प्रमाण पत्र तथा संबंधित सक्षम प्राधिकरी का पंजीयन प्रमाण पत्र (वित्तीय BID)रखी जावेगी। उक्त दोनो लिफाफे एक तीसरे लिफाफे में रखे जावेगे। सर्वप्रथम तकनीकी लिफाफा खोला जावेगां। निविदा के संबंध में समस्त दस्तावेज/ अभिलेख चेक करने के उपरान्त ही वित्तीय दरे BID खोली जावेगी। ठेकेदार द्वारा कृषक विश्राम गृह ठेके के प्रतिमाह की तथा प्रतिवर्ष की दरे निविदा प्रपत्र में अंकित की जावेगी। यदि निविदा के आवश्यक दस्तावेज /अभिलेंख गलत पाये जाते है। तो उसकी निविदा दरे नही खोली जावेगी।

04 कृषक विश्राम गृह का किराया संबंधित जिले की कलेक्टर गाइडलाइन के फार्मूले के आधार पर संबंधित कार्यापालन यंत्री तकनीकी संभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

05 रेस्टहाउस संचालन हेतु इच्छुक आवेदक/संस्था से निविदा में कृषक विश्राम गृह के लिये निर्धारित किराये की 03 माह के किराये की राशि सुरक्षा निधि (प्रतिभूति) एफ.डी.आर. के रूप में सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति में जमा कराना अनिवार्य होगी। सुरक्षा निधि जिस आवेदक/संस्था की प्राप्त नहीं होगी उनकी निविदा मान्य नही की जावेगी।

06 कृषक विश्राम गृह हेतू आंमत्रित निविदा में निर्धारित किराये अधिक जो भी उच्चतम किराया जिस आवेदक/संस्था का प्राप्त होगा। उसकी निविदा मान्य की जावेगी, आंवटन के संबंध में मंडी समिति का निर्णय मान्य होगा।

07 कृषक विश्राम गृह हेतू आंमत्रित निविदा में निर्धारित किराये से कम किराया प्राप्त होने पर मंडी समिति द्वारा पुनः निविदा आंमत्रित की जायेगी।

08 यदि स्वीकृत निविदा निर्धारित किराये से अधिक है, तो कृषि उपज मंडी समिति द्वारा कृषक विश्राम गृह संचालनकर्ता को निविदा स्वीकृत की सूचना प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि में 3 माह का अतिरिक्त अग्रिम किराया (अर्थात अंतर की राशि) मंडी समिति में जमा कराना अनिवार्य होगा।

09 कृषक विश्राम गृह की स्वीकृत निविदा प्रथमतः अवधि 03 वर्ष रहेगी एंव यह अवधि कार्य के मूल्याकंन तथा आपसी सहमति के आधार पर वार्षिक किराये की राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर आगामी 02 वर्ष वृद्धि की जा जाकेगी।

5 kanteen

10 द्वितीय निविदाकर्ता की जमा प्रतिभूति राशि निविदा स्वीकृत आवेदक/संस्था के द्वारा मंडी समिति से निविदा अनुबंध निष्पादित किये जाने के पश्चात वापिस की जावेंगी।

11 स्वीकृत निविदा आवेदक/संस्था की जमा प्रतिभूति राशि निष्पादित अनुबंध की अवधि पूर्ण होने के पश्चात यदि आवेदक पर मंडी समिति की किसी भी प्रकार की राशि शेष नही होने की दशा में बिना ब्याज के राशि वापस की जावेगी।

12 कृषक विश्राम गृह की निविदा स्वीकृत किये जाने के पश्चात आवेदक/संस्था को संबंधित कृषि उपज मंडी समिति से राशि रूपयें 1000/– के स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

13 कृषक विश्राम गृह का अनुबंध निष्पादित किये जाने के पश्चात 30 दिवस की अवधि में कृषक विश्राम गृह का संचालन करना अनिवार्य होगा।

14 आवेदक/संस्था को किराये की आग्रिम राशि प्रत्येक माह की 07 तारीख तक अनिवार्य रूप से आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. (डिजीटल पैमेंट) द्वारा मंडी समिति में जमा करनी होगीं। निर्धारित समयाधि में किराया जमा नहीं करने पर बैंक सेविग खाते की प्रचलित ब्याज दर सहित किराया जमा कराना होगा। यदि 03 माह तक निरंतर किराया जमा न करने पर मंडी समिति, द्वारा ठेका निरस्त किया जावेगा।

15 जिस व्यक्ति/संस्था को कृषक विश्राम गृह संचालन हेतु आंवटित किया गया है, वह अन्य किसी व्यक्ति/संस्था को कृषि उपज मंडी समिति की स्वीकृत के पूर्व हस्तान्तरण नहीं कर सकेगा।

16 मंडी समिति द्वारा निर्मित कृषक विश्राम गृह आवेदक/संस्था सुविधानुसार अस्थाई पार्टिशन मंडी समिति के अनुमति से कर सकेगी, उस पर व्यय की गई राशि का वहन आवेदक/संस्था को करना होगा। कृषक विश्राम गृह जिस स्थिति में ठेकेदार को सौंपा गया है, उसी स्थिति में मंडी समिति को वापिस करना होंगा। तथा मरम्मत एव वार्षिक रंगाई पुताई की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की रहेगी।

17 रेस्टहाउस संचालनकर्ता को कृषक विश्राम गृह में ठहरने वाले कृषक/आंगन्तुक के निम्नानुसार सुविधा उपलब्ध कराना होगी।

कमांक	ठहरने की सुविधा का नाम	उपलब्ध सुविधाये
01	डारमेट्री की सुविधा	पलंग, गददे, तकीया, चादर, कम्बल
02	विश्राम गृह कक्ष	पलंग, गददे, तकीया, चादर, कम्बल

18 रेस्टहाउस संचालनकर्ता को कृषक विश्राम गृह में ठहरने वाले कृषक/आगन्तुक से प्रति दिन/प्रति व्यक्ति निम्नानुसार राशि प्राप्त करेगा।

कमांक	ठहरने की सुविधा का नाम	उपलब्ध सुविधाये	कृषको हेतु अधिकतम दर
01	डारमेट्री की सुविधा	पलंग, गददे,तकिया, चादर, कम्बल	रू. 50/–
02	विश्राम गृह कक्ष	पलंग, गददे,तकीया, चादर, कम्बल	रू.100/–

परन्तु अन्य आगन्तुको के लिये दरो का निर्धारण संचालनकर्ता द्वारा किया जाएगा। जिसकी जानकारी मंडी समिति को प्रदाय की जायेगी एंव सूचनापटल पर चस्पा की जावेगी।

6 kanteen

19 ऐसे कृषक जो मंडी प्रांगण में कृषि उपज विक्रय हेतु लाते है, किन्तु उनकी कृषि उपज की नीलामी उस दिन नही होने पर उन कृषको को प्रवेश पर्ची के आधार पर सचिव, अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकरी/कर्मचारी के प्रमाणिकरण के उपरांत कृषक विश्राम गृह में निःशुल्क ठहरना होगा। उनकी राशि की प्रतिपूर्ति संबंधित मंडी समिति द्वारा की जावेगी।

20 कृषक विश्राम गृह की आमंत्रित निविदा हेतु निम्नानुसार समिति निर्धारित होगी :–

1. भारसाधक अधिकारी/अध्यक्ष,
2. सचिव,
3. लेखापाल,
4. उपयंत्री,

उपरोक्त गठित समिति की अनुशंसा पर मंडी समिति निविदा स्वीकृत करेगी।

21 रेस्टहाउस संचालनकर्ता को कृषक विश्राम गृह के लिए एक रिसेप्शन काउन्टर बनाना होगा, जिसमें ठहरने वाले कृषक/आंगतुक के नाम एंव पते की पंजी में प्रवष्टियां संधरित की जावेगी।

22 रेस्टहाउस संचालनकर्ता ठहरने वाले आंगन्तुको/कृषको के लिए रूम सर्विस, इंटरकोम, आर ओ वाटर की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

23 रेस्टहाउस संचालनकर्ता ठहरने वाले अन्य आंगन्तुको/कृषको हेतु चाय, स्वल्पहार एंव भोजन की व्यवस्था कराना अनिवार्य होगीं। जिस पर होने वाले व्यय संबंधित विश्रामकर्ता द्वारा वहन किया जायगा।

24 कृषक विश्राम गृह में बाल श्रमिक से कार्य कराया जाना प्रतिबंधित रहेगा। म0प्र0 शासन श्रम विभाग के द्वारा प्रचलित नियमो/निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा।

25 कृषक विश्राम गृह में साफ सफाई एंव सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा जिसकी जिम्मेदारी संचालनकर्ता की होगी एवं मादक पदार्थो का उपयोग प्रतिबंधित होगा।

26 किसी भी प्रकार के विवाद होने पर अपीलीय अधिकारी संयुक्त संचालक/उपसंचालक आंचलिक कार्यालय होंगे जिसका निर्णय उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।

27 कृषक विश्राम गृह का अनुबंध स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार मंडी समिति को रहेगा। जो कृषक विश्राम गृह संचलनकर्ता को बंधनकारी होगा।

28 कृषक विश्राम गृह संचालनकर्ता को समस्त वैधानिक प्रावधानो/निर्देशो तथा श्रम कानून का पालन करना अनिवार्य होगा।

29 कृषक विश्राम गृह संचालनकर्ता को विधिक प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

30 विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र अधिकार संबंधित जिले का क्षेत्र होगा।

31 रेस्टहाउस संचालनकर्ता को इस संबंध में जारी समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

7/3/19

(फैज अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक सह–आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल